

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश - 21

का०आ०सं०-प्र०-6/द०बि०-नियम-03-02/2004

पटना/दिनांक- 15/01/2026

पथ निर्माण विभाग द्वारा रू० 70 लाख से रू० 3.5 करोड़ की राशि के लिए निरूपित निविदा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त परिवादों की समीक्षा हेतु कार्यालय आदेश संख्या-231 दिनांक-04.12.2019 के द्वारा गठित समिति का निम्नरूपेण पुर्नगठन किया जाता है :-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)/
अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) | - अध्यक्ष |
| (2) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) | - सदस्य |
| (3) संबंधित मुख्य अभियंता | - सदस्य सचिव |
| (4) आंतरिक वित्तीय सलाहकार | - सदस्य |

साथ ही एकल निविदा के प्रकरणों में उक्त राशि के लिए पुर्ननिविदा के पश्चात् भी यदि तकनीकी मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त समिति द्वारा निविदा का निस्तार किया जाएगा।

इस संबंध में निर्गत सभी पत्र/परिपत्र/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि०-नियम-03-02/2004 294 (E)

पटना/दिनांक- 15/01/2026

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/26
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)